फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर

राजाराम बनाम सरकार

किस्म मुकद्मा– 225 आरटीए **नम्बर.....81.....2019**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18.12.19	अभिभाषक अपीलांट श्री राधाकिसन स्वामी उपस्थित। अपील बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश हुई। जो पंजीबद्व हो। विद्वान अभिभाषक अपीलांट को पत्रावली पर सुना गया। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बहस करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम बज्जू खालसा के खसरा नम्बर 27, 370, 416 तादादी 50 बीघा 06 बिस्वा जिसके दौराने चकबन्दी नये मुरब्बा नम्बर 224/10, 224/11, 224/19 मे 27 बीघा 04 बिस्वा जिसके हाल चक नम्बर 7 बीजेएम के मुरब्बा नम्बर 224/11 के किला नम्बर 10 व 11 जोकि अपीलांट के पक्ष में स्माल पेच आवंटन की गई थी। उपरोक्त भूमि के खातेदारी अधिकारों की धोषणा एवं अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु अदालत मातहत के समक्ष वादपत्र व धारा 212 आरटीए का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए वादग्रस्त भूमि से अपीलांट को बेदखल न करने व मौके व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखने की इस्तदुआ की गई थी। जिस पर अदालत मातहत अपीलांट का अस्थ्झाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र मात्र सरसरी तौर पर यह अंकित करते हुए कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। जबकि विधि का सर्वमान्य सिद्वान्त है कि धारा 212 आरटीए के प्रार्थना पत्र के निस्तारण करते समय अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों इन्ग्रिडेन्ट्स प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु पर विस्तृत विवेचन अंकित करते हुए विधि सम्मत तरीके से निर्णय पारित किया जाना चाहिए था। अदालत मातहत द्वारा विधि इस सिद्वान्त के विपरीत जाकर मात्र सरसरी तौर पर अपीलांट का अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र खारित करने में कानूनी त्रूटि कारित की गई है। जबकि अपीलांट/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत सूची नम्बर चार के अवलोकन से साबित है कि वादग्रस्त भूमि अपीलांट के धारण की भूमि है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किये बिना आदेश जैर अपील पारित किया गया है।	

राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर

अतः अपीलांट का स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि 7 बीजेएम के मुरब्बा नम्बर 224/11 के किला नम्बर 10 व 11 के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखे जाने के आदेश प्रदान करावें।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट को सुना गया तथा पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट/प्रार्थी द्वारा अदालत मातहत के समक्ष वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम बज्जू खालसा के खसरा नम्बर 27, 370, 416 तादादी 50 बीघा 06 बिस्वा जिसके दौराने चकबन्दी नये मुरब्बा नम्बर 224/10, 224/11, 224/19 मे 27 बीघा 04 बिस्वा जिसके हाल चक नम्बर 7 बीजेएम के मुरब्बा नम्बर 224/11 के किला नम्बर 10 व 11 जोकि अपीलांट के पक्ष में स्माल पेच आवंटन की गई थी। उपरोक्त भूमि के खातेदारी अधिकारों की धोषणा एवं अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु अदालत मातहत के समक्ष वादपत्र व धारा 212 आरटीए का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए वादग्रस्त भूमि के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखने की इस्तदुआ की गइ थी।

इस संबंध में अदालत मातहत के निर्णय निर्णय का अवलोकन किया गया। अदालत मातहत द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत धारा 212 आरटीए के प्रार्थन पत्र की पुश्त पर ही यह अंकित करते हुए कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं होने के फलस्वरूप प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है, अपीलांट/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया। इस संबंध में हमारा अभिमत है कि यदि प्रार्थी का धारा 212 का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं भी था तब भी अदालत मातहत को चाहिए था कि उनके समक्ष अपीलांट/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों इनग्रिडेन्ट्स प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु पर अपना अभिमत प्रकट करते हुए उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना चाहिए था। विधि की किसी भी स्थिति में यह मंशा नहीं रही है कि मात्र सरसरी तौर पर किसी भी प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जावे। अदालत मातहत के उक्त कृत्य से अनावश्यक रूप से पक्षकारों को उच्चतर न्यायालयों की शरण में आना पड़ता है तथा ऐसे निर्णय से एक तरह से वे पक्षकार की अप्रत्यक्ष रूप से मदद ही कर रहे है। लिहाजा प्रस्तुत अपील में गुणावगुण पर किसी प्रकार की टिप्पणी किये बिना

अपीलांट द्वारा प्रस्तत अपील इसी स्तर पर आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांट/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र पर विधि सम्मत तरीके से अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों महत्वपूर्ण इन्ग्रिडेन्ट्स प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति पर अपना विवेचन अंकित करते हुए पुनः निर्णय पारित करें। तब तक वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम बज्जू खालसा के खसरा नम्बर 27, 370, 416 तादादी 50 बीघा 06 बिस्वा जिसके दौराने चकबन्दी नये मुरब्बा नम्बर 224/10, 224/11, 224/19 मे 27 बीघा 04 बिस्वा जिसके हाल चक नम्बर 7 बीजेएम के मुरब्बा नम्बर 224/11 के किला नम्बर 10 व 11 के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखी जावे। अपीलांट को जरिये अभिभाषक निर्देशित किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना मत व्यक्त करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफ्तर हो।

(रामरतन सोंकरिया),
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2020.01.08 12:07:24 IST
Reason: SelfAttested
Location: